न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 129/2017

बउनवान

रामस्वरूप पुत्र श्री सांवल्या जाति–कुम्हार निवासी–कोटडा
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्रकुमार सोमानी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**
3. सदस्य बेंच

राजस्व लोक अदालत निर्णय दिनांक 07.06.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 14.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम कोटडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 40/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारागार सजा से दण्डित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली पर पूर्व बेदखली का कोई आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया, तामील हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय मात्र कयास के आधार पर आदेश पारित किया है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं दिया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है वर्तमान में भूमि खाली पडी हुई है। बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर राजस्व लोक अदालत में बैंच सदस्य की उपस्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः लोक अदालत की भावना से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 957/13 निर्णय दिनांक 20.12.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति लोक अदालत की भावना को दृगत रखते हुये, सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को परिवर्तित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 580/14 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2014 की गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 14.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.एम.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official